



# जिल्हा परिषद रत्नागिरी

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन.

माळनाका रत्नागिरी ४१५६१२

सामान्य प्रशासन विभाग



दूरध्वनी क्र.: ०२३५२/२२२४२८

ईमेल आय डी -: dyccogad08@gmail.com

जा.क्र. रजिप/साप्रवि/लेखा-२/वैद्यकीय देयक/ २०७८ /२०२३ दिनांक :- ७२/०७/२०२३

- वाचा- १. महा. शास, सार्व. आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएजी-२००५/प्रक्र-१/आरोग्य- ३, दि. १९ मार्च, २००५.  
 २. महा. शास, सार्व आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. वैखप्र-२०११/प्रक्र-३३३/११/ राकावि-२, दि. १६ नोव्हें २०११.  
 ३. महा. शास., सार्व. आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. वैखप्र-२०१६/प्रक्र- १६/२०१६/राकावि-२, दि. १६ मार्च १६  
 ४. सामान्य प्रशासन विभागाकडील अधिकार प्रदान मंजूर टिप्पणी दिनांक २४.०२.२०२३.  
 ५. महा. शास., ग्रा.वि. विभाग, शासन निर्णय क्रमांक वैप्रवि-६२१८/प्र.क्र.१३४/आस्था- ७/दिनांक २४ मे २०१८.  
 ६. महा. शासन, सार्व. आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक वैखप्र-२२/प्र.क्र.३५/राकावी-२, दिनांक १९ जुलै, २०२२.  
 ७. महा. शासन, सार्व. आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.१२०/राकावी-२/, दि. १७ जानेवारी २०२३.


## आदेश

उपरोक्त संदर्भीय पत्र क्रमांक ४ अन्वये मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांनी केलेल्या अधिकार प्रदानानुसार गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती गुहागर ता. गुहागर या शाखेतील श्री/श्रीमती कमल दगडु कांबळे पदनाम परिचर यांनी स्वतःचे आजारपणावर शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक एमएजी-२००५/९/प्रक्र-१/आरोग्य-३, दिनांक १९.३.२००५ मध्ये नमूद केलेल्या आजार हा परिशिष्ट अ. क्र. ०१ या आजारसंबंधी डॉ. राहूल दिवाण, वरद मेडिकेयर हॉस्पिटल, कोल्हापूर या शासकीय/शासनमान्य/खाजगी रुग्णालयात बाह्य/ आंतररुग्ण म्हणून दि. ०५.१२.२०२२ ते दि. १०.१२.२०२२ पर्यंत करण्यात आलेल्या उपचारावरील झालेल्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीस खालील तपशिलाप्रमाणे मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे.

| अ.क्र. | तपशील   | एकूण खर्च      |                                |           |
|--------|---|----------------|--------------------------------|-----------|
| (१)    | (२)   | (३)            |                                |           |
| १.     | एकूण खर्च   | ३९४४७/-        |                                |           |
| २.     | ना- देय खर्च (सुट व औषध)  | १७२८/-         |                                |           |
| ३.     | प्रत्यक्ष खर्च (१-२)  | ३७७१९/-        |                                |           |
| ४.     | प्रत्यक्ष खर्चापैकी वास्तव्याचा खर्च (Bed Charges)  | ३४००/-         |                                |           |
| ५.     | प्रत्यक्ष खर्चापैकी औषधोपचाराचा खर्च (३-४)  | ३४३१९/-        |                                |           |
| ६.     | औषधोपचारासाठी अनुज्ञेय खर्चाचे प्रमाण इ.(औषधोपचारावरील प्रत्यक्ष खर्चापैकी प्रतिपूर्तीचे प्रमाण ९०%)(शासनमान्य रुग्णालयातील खर्चाची १००% प्रतिपूर्ती) | ३०८८७/-        |                                |           |
| ७.     | रुग्णालयात वास्तव्याचे दिवस   | ६              |                                |           |
| ८.     | वास्तव्यासाठी केलेला खर्च   | ३४००/-         |                                |           |
| ९.     | रुग्णालयातील वास्तव्यासाठी अनुज्ञेय खर्चाचे प्रमाण -  | ९५%, १००%      |                                |           |
| अ.क्र. | वास्तव्याचा प्रकार  | प्रत्यक्ष खर्च | अनुज्ञेय रक्कम                 | देय रक्कम |
| अ)     | जनरल वॉर्ड (सर्वसामान्य कक्ष)   | २०००/-         | ९५%                            | १९००/-    |
| ब)     | जनरल वॉर्डच्या (सर्वसामान्य कक्षाच्या) बाजूचा बाथरूम नसलेला कक्ष  |                | ९०%                            | -         |
| ग)     | बाथरूमसह स्वतंत्र कक्ष  |                | ७५%                            | -         |
| घ)     | बाथरूमसह डबलबेड कक्ष  |                | ७५%                            | -         |
| च)     | बाथरूमसह वातानुकूलीत कक्ष (विमान प्रवास सवलत अनुज्ञेय असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी)   |                | ७५%                            | -         |
| द)     | अतिदक्षता कक्ष  | १४००/-         | १००%                           | १४००/-    |
|        |   |                | वास्तव्यापोटी एकूण देय रक्कम = | ३३००/-    |
| १०.    | एकूण देय खर्च (६ + ९)   |                |                                | ३४१८७/-   |

उपरोक्त खर्च रक्कम रुपये ३४,१८७/- (अक्षरी रक्कम रु. चौत्तीस हजार एकशे सत्याऐशी मात्र) तसेच सदर कर्मचाऱ्याचे वेतन ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्च पडते त्या लेखाशिर्षाखाली खर्चा टाकण्यात यावा. तसेच सदरचा खर्च हा सन २०२३/२०२४ या वित्तीय वर्षातील तरतूदीतून भागविण्यात यावा.

सदरचा आदेश रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या <https://www.zpratnagiri.org> या संकेत स्थळावर उपलब्ध करणेत आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०७९२९७३८ असा आहे.

  
(परिचित यादम)

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि)  
जिल्हा परिषद रत्नागिरी

प्रत:- १) श्रीम. कमल दगडु कांबळे, परिचर यांना कार्यालयामार्फत.

प्रत:- २) गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती गुहागर ता. गुहागर यांजकडे कार्यवाहीसाठी.